



कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है! उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है।
-रतन टाटा

मूल्य
₹ 3/-

जिद...सच की

● वर्ष: 10 ● अंक: 142 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 27 जून, 2024

पहली बार फाइनल में पहुंचा साउथ... 7 अब लोस के डिप्टी स्पीकर पर... 3 देश संविधान से चलेगा न कि... 2

बहिष्कार व हंगामे के बीच राष्ट्रपति ने पढ़ा अभिभाषण

एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा

- » आपातकाल व पेपर लीक मामले पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
 - » पेपर लीक को लेकर दलीय राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत : राष्ट्रपति
 - » संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क



नई दिल्ली। विपक्ष के बहिष्कार व हंगामे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। उधर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का यह पहला संबोधन है। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था। इसके अलावा राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है।

भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब इसे लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। मेरी सरकार भी भारतीय संविधान को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बना सकती। हम अपने संविधान को जनचेतना का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। हमारे जम्मू-कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू किया गया है, जहां अनुच्छेद 370 के कारण

राष्ट्रपति ने नव निर्वाचित सदस्यों को दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोक सभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अभिभाषण के दौरान कहा आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देशसेवा और जनसेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की मानना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। 1140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जन्म-कर्मरही से भी सामने आई है। कर्मरही घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं।

स्थिति अलग थी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है।

आप सांसदों ने अभिभाषण का किया बहिष्कार

आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आप सांसदों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो और तानाशाही नहीं चलेगी, जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की, इसे तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन के बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण माना जा रहा है। आप नेता संदीप पाठक ने



न्याय की आड़ में तानाशाही कार्यों के खिलाफ विरोध करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो अपनी आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। पाठक ने स्पष्ट किया कि विरोध करने का निर्णय, कड़वा भारत गठबंधन में अन्य दलों के साथ समन्वय किए बिना स्वतंत्र रूप से लिया गया था। उन्होंने कहा, हमने इस बारे में भारत गठबंधन के शेष दलों के साथ चर्चा नहीं की, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी।

राष्ट्रपति ने शोर मचाने पर विपक्ष को टोका

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर बात की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। उन्होंने कहा सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सही माहौल बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट-नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए-सुनिए तक कहना पड़ा। सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी मर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इनमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुषिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

'राज्य के विकास से देश का विकास'

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मानना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तरों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर के साथ-साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं।

सबकुछ ठीक फिर किसान क्यों दुखी हैं : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि किसान क्यों दुखी हैं, संकट में हैं, अगर यह पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी बताई जा रही है? इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार



क्यों है? सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी इकॉनमी अगर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आखिर इतनी महंगाई क्यों है? अग्निवीर जैसी योजना क्यों लागू की जा रही है? निवेश कहा है? कुछ लोगों के विकास को देश का विकास नहीं कहा जा सकता है।

अब लोस के डिप्टी स्पीकर पर मचेगा संग्राम!

स्पीकर के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष की नजर

» भाजपा व कांग्रेस में इसको लेकर राट

» पिछले लोकसभा में खाली रहा था यह पद

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



नई दिल्ली। काफी सियासी रस्साकशी के बाद ओम बिरला एकबार फिर लोक सभा अध्यक्ष चुन लिए गए। हालांकि उनको यह पद आम सहमति से नहीं मिला। उन्हें विपक्ष के के. सुरेश से चुनाव लड़ना पड़ा। पर विपक्ष द्वारा वोट के डिवीजन की मांग न करवाने से ओम बिरला पुनः स्पीकर बन गए। हालांकि विपक्ष ने वोटिंग पर हंगामा न करके एक सूझबूझ वाला फैसला लिया। इस रणनीति ने उसने बीजेपी पर पहली ही बार में नैतिक बढ़त ले ली। इसके तहत उसने एनडीए सरकार को इशारा भी कर दिया कि इसबार विपक्ष को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

पहली लड़ाई तो सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बहुत सलीके से हुई और अपने अंजाम पर पहुंच गई। पर अब देखना होगा कि लोक सभा उपाध्यक्ष के पद पर क्या होता है। गौरतलब हो कि पिछले लोक सभा में यह पद खाली रहा था। परंपरा के अनुसार इस पद पर विपक्ष का कोई सदस्य काबिज होता है। 2014 से 19 तक एआईडीएमके के एम थंबीदुरई उपाध्यक्ष रहे थे। गौरतलब हो कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इस बार सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से उम्मीदवार उतारे गए। इससे पहले बीजेपी ने स्पीकर पद पर परंपरा की बात करने को लेकर कांग्रेस को घेरा था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्षी दल से उपाध्यक्ष बनाने की परंपरा रही है। बीजेपी ने मनमानी करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद सत्ता पक्ष के पास रखे हैं। वहीं बीजेपी ने स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया।

पांच साल की अवधि के लिए होगा डिप्टी स्पीकर

उपाध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों में से पांच साल की अवधि के लिए किया जाता है। वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते या इस्तीफा नहीं दे देते। उसे लोकसभा में सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत में रिक्रिया निकालने के

बाद बहुमत सदन की कुल संख्या का 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। चूंकि उपाध्यक्ष लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, इसलिए निष्कासन लोकसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा ही किया जाता है। उन्हें अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि उप सभापति के रूप में उन्हें निष्पक्ष रहना होगा। 17वीं लोकसभा पहली और एकमात्र

लोकसभा है जिसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं था। फरवरी 2023 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक निकाय का नेतृत्व किया, जिसमें तर्क दिया गया कि लंबी रिक्ति संविधान के अक्षर और भावना के खिलाफ है। मौजूदा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है और यह पद 23 जून 2019 से खाली है।

पद के लिए शर्त रखना शर्मनाक : शहजाद

शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होना चाहिए और स्पीकर को समर्थन देने के लिए यह पहली शर्त थी। ऐसी शर्त शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनका अपना परिवार उस परंपरा का पालन करता था जिसकी वह बात कर रहे हैं? पूनावाला ने उदाहरण देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए एम. अनंतशयनम अयंगर (1952-1956), हुकुम सिंह (1956-1962) और एस. वी. कृष्णमूर्ति राव (1962-67) डिप्टी स्पीकर थे। ये सभी कांग्रेस से थे जबकि स्पीकर भी उसी पार्टी से थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी कांग्रेस के आर. के. खडिलकर 1967-1969 तक डिप्टी स्पीकर रहे।

निचले सदन का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग प्राधिकारी है उपाध्यक्ष

लोकसभा का उपाध्यक्ष (आईएएसटी-लोकसभा उपाध्यक्ष) भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग प्राधिकारी है। वह लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या बीमारी के कारण छुट्टी या अनुपस्थिति की स्थिति में पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, यह कहता है कि लोक सभा (लोकसभा), जितनी जल्दी हो सके, दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनें, जितनी बार कार्यालय खाली हों। हालांकि, यह कोई विशिष्ट समय सीमा प्रदान नहीं करता है। एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ दल के अलावा किसी अन्य दल से लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करना संसदीय परंपरा है।

स्पीकर ओम बिरला के पहले ही भाषण से विपक्ष नाराज

लोकसभा अध्यक्ष घोषित होने के बाद अपने पहले भाषण में, भाजपा के ओम बिरला ने पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए आपातकाल के दौरान काले दिनों और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने सदस्यों से आपातकाल के काले दिनों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो मिनट के मौन के लिए खड़े होने को भी कहा। इसे स्वीकार नहीं किया गया और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और सदन को स्थगित कर दिया गया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने तानाशाही बंद करो जैसे नारे लगाए। हालांकि, बिरला के भाषण को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली। एक्स को संबोधित करते हुए, पीएम ने लिखा, मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया उसका भी उल्लेख किया। उन दिनों के दौरान पीड़ित



सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था। उन्होंने आगे लिखा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया

बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

बीजेपी नेता ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ओर से सत्ता संभाल रहे राज्यों का भी ब्योरा साझा किया, जहां दोनों पद एक ही पार्टी के पास थे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बिमान बनर्जी स्पीकर हैं और उनके दल के

सहयोगी आशीष बनर्जी उनके डिप्टी हैं। तमिलनाडु में डीएमके के एम. अप्पावु स्पीकर और के. पिचंडी डिप्टी स्पीकर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के यू. टी. खादर फरीद स्पीकर हैं और आर. एम. लामानी डिप्टी स्पीकर हैं।

शहजाद पूनावाला ने केरल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल में एलडीएफ के ए. एन. शमसीर (माकपा) स्पीकर हैं और चित्तयम गोपाकुमार डिप्टी स्पीकर हैं। तेलंगाना और झारखंड में डिप्टी स्पीकर का पद खाली

है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहीं झारखंड में उसकी सहयोगी जेएमएम की सरकार है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस झूठ बोल रही थी, वैसे ही यहां भी झूठ बोल रही है।

था लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यह इस बात का एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है। स्पीकर ओम बिरला ने 25 जून 1975

को लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए कहा कि सदन इसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने उन लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी को बरकरार रखा। बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि यह दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में हमेशा याद

किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जिसे उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर हमला बताया। अध्यक्ष ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को रेखांकित किया, इसके मूल्यों पर प्रकाश डाला जो बहस और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

